



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर चोरी करने वाले व अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 519 दिवस के कारावास व ₹2,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत अ०सं०- 588/2022 धारा 379/411 भा०द०सं० व 3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एसीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.अर्जुन पुत्र रामप्रकाश नि० नदेहरा थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर को 519 दिवस के कारावास व ₹2,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एपीओ श्री अमर
जायसवाल



विवेचक
उ०नि० प्रेमचन्द
राम



पैरोकार थाना सुमेरपुर
का० श्रीकान्त राजपूत